मणिपुर : शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

भारत के वीर

16-31 मई, 2023 वर्ष-1 अंक-4

फॉरेंसिक साइंस का असर, बढ़ेगी दोषसिद्धि दर

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

ट्वीट्स	04
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 अब बच...	13
दो दशक पहले गुजरात में रखी फॉरेंसिक की नींव...	15
130 साल बाद देश को मिला नया कानून	16
संकल्प से मिलेगी सफलता	17
शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता	22
बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के उपयोग...	25
एनएफएसयू : नई तकनीकि के जरिए दुनिया भर में...	26

विशेष रिपोर्ट

05 फॉरेंसिक साइंस का असर, बढ़ेगी दोषसिद्धि दर

10 एनएफएसयू : अपराध पर लगेगी लगाम

21 दिल्ली में छह साल से अधिक सजा पाने वाले केसों...

संपादक
की कलम से

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> भारत सरकार आपराधिक न्याय ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक अवसंरचना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। नीति निर्माता फॉरेंसिक्स पर आधारित जांच को बढ़ावा देने के लिये मेधावी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम ऐसे युग में रहते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम है। हमारे चारों ओर की दुनिया प्रौद्योगिकी के आधार पर टिकी है- हम प्रौद्योगिकी पर किसी ना किसी रूप में इस तरह निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना ज़िंदगी असंभव सी लगती है। आज देश के दूर-दराज क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की छाप दिखती है।

पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग आरंभ में भले ही धीमा रहा हो, लेकिन जैसे-जैसे इसकी ताकत और उपयोगिता स्पष्ट होती गई, गुजरते समय के साथ, पुलिस संगठनों ने, निरंतर बढ़ते उत्साह के साथ इसे अपनाने पर जोर दिया।

आधुनिक पुलिसिंग में जांच हेतु फॉरेंसिक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, अपराधों की रोकथाम और पहचान के लिए पारंपरिक तंत्र जैसे कि 'Foot Patrolling', और 'खबरी' प्रणाली ने अपनी पकड़ बनाए रखी है, बशर्ते इन प्रणालियों का उपयोग सही तरीके से किया जाए, लेकिन विज्ञान पर आधारित फॉरेंसिक्स ने सफल जांच के परिदृश्य को ही बदल दिया है। पारंपरिक अपराधों को सुलझाने में फॉरेंसिक उपकरणों का उपयोग तो होता ही है, मोबाइल और ड्रोन जनित अपराधों में फॉरेंसिक्स का योगदान उल्लेखनीय है।

भारत सरकार आपराधिक न्याय ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक अवसंरचना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। नीति निर्माता फॉरेंसिक्स पर आधारित जांच को बढ़ावा देने के लिये मेधावी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विषय विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने हेतु गांधीनगर, गुजरात में राष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) की स्थापना की पहल, इस दिशा में एक शुभ संकेत है।

आधुनिक अपराधों को पुरातन उपकरणों से हल नहीं किया जा सकता। आधुनिक राष्ट्र, जो इस अमृत काल में, स्वतंत्रता के 100वें वर्ष की ओर अग्रसर है, उभरती चुनौतियों और जटिलताओं से निपटने के लिए एक ऐसे आधुनिक दृष्टिकोण और कौशल से लैस होने को तत्पर है, जो भारतीय वास्तविकताओं में रचा बसा हो।

'सजग भारत' के इस चौथे अंक को प्रस्तुत करते हुये हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का इंतजार रहेगा। आप अपने सुझाव हमें dg@bprd.nic.in पर भेज सकते हैं।

जय विज्ञान ! जय अनुसंधान !!

Had an excellent meeting with tribal leaders from Arunachal Pradesh. We discussed different aspects relating to the state's development and fulfilling the wishes of the people.

- Sh. Narendra Modi
Prime Minister

केंद्र सरकार एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ा कर तटीय सुरक्षा को अभेद्य बना रही है। इसी दिशा में NACP अर्धसैनिक बलों व तटीय राज्यों की सुरक्षा बलों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर समुद्री ताकत बढ़ाएगा।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सागरमाला परियोजना में गुवाहाटी के सात ऐतिहासिक मंदिरों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है। इससे न केवल हमारे छात्र अपनी मातृभाषा की उत्कृष्ट उपलब्धियों को जान पाएंगे बल्कि इससे अनेक शिक्षकों की नौकरी को भी सुरक्षा मिलेगी।

श्री निशीथ प्रमाणिक
राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय)

नव निर्मित संसद भवन हर भारतीय का गर्व है, हम सभी इस स्वर्णिम अनुभव के साक्षी रहेंगे।

-श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

देश की सीमाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित रखे बिना हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। सीमावर्ती गांव को देश के किसी भी अन्य गांव के समान सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस कल्पना के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' की शुरुआत की।

-केंद्रीय गृह मंत्रालय

फॉरेंसिक साइंस का असर, बढ़ेगी दोषसिद्धि दर

» ब्यूरो

अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तत्पर केंद्र सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे लगातार दोषसिद्धि दर बढ़ रही है। इसमें फॉरेंसिंक विज्ञान भी एक है। एक समय था जब जांच प्रक्रिया में देरी के चलते और सबूतों के अभाव में बड़ी संख्या में मामले अदालतों में लंबित पड़े रहते थे और अपराधी सबूतों के अभाव में कई बार बरी भी हो जाते थे। लेकिन साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने एक के बाद एक फैसले लेकर दोषसिद्धि दर को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने राज्य में दोषसिद्धि दर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इनमें से साल 2008 में खोले गए गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की भी बड़ी भूमिका रही। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस तंत्र को लगातार मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद श्री अमित शाह ने इस तंत्र को और मजबूती प्रदान की। इस क्रम में संसद के अधिनियम द्वारा गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के

कानून और व्यवस्था के तीन हिस्से हैं– प्रैक्टिकल लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस का काम है, क्राईम इन्वेस्टिगेशन जिसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है और तीसरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना।

रूप में स्थापित किया गया और अब तक इसके 10 कैंपस को मूर्त रूप देने की तैयारी है। इससे जहां फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी वहीं दोषसिद्धि दर में काफी वृद्धि होगी।

देश में आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने और अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए सरकार फॉरेंसिक का बेहतर उपयोग कर रही है। दोषसिद्धि दर में और अधिक वृद्धि हो, इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत कई राज्यों में यूनिवर्सिटी की शाखाएं

केंद्र सरकार ने फॉरेंसिक जांच में डीएनए तकनीक की अहमियत के मद्देनजर 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक - 2019' को मंजूरी दी है। मैं फॉरेंसिक विशेषज्ञों से अपील करता हूं कि डीएनए प्रोफाइलिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर न्यायपालिका की मदद करें ताकि बलात्कार के जघन्य मामलों के दोषियों को तत्काल दंडित किया जा सके और पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

- श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

खोली जा रही हैं। नई युनिवर्सिटी के खुलने से जल्द ही देश में हजारों की संख्या में फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे। अब फिंगरप्रिंट और डीएनए विश्लेषण, विष विज्ञान परीक्षण, लिखावट विश्लेषण, अपराध के दृश्यों का विश्लेषण, अनुवांशिक संबंधों का विश्लेषण कर सबूतों साक्ष्यों की विभिन्न तरीके से जांच कर अपराधी को पकड़ने की व्यापक तैयारी है। हर पीड़ित को न्याय मिले, इसी मंशा के साथ केंद्र सरकार लगातार फोरेंसिक्स के अधिक प्रयोग पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर कई बार अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं। फोरेंसिक्स के विशेषज्ञों की तादाद बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय देश के अलग अलग क्षेत्रों में फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के केंद्र स्थापित कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि भारत पूरी दुनिया के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे अधिक फॉरेंसिक विशेषज्ञ भारत में होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री का स्पष्ट कहना है कि अगर पुलिस को अपराधियों से दो कदम आगे रहना है, दोषसिद्धि दर को बढ़ाना है, तो इसके लिए फॉरेंसिक का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। कानून और व्यवस्था के तीन हिस्से हैं- प्रैक्टिकल लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस का काम है, क्राईम इन्वेस्टिगेशन जिसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है और तीसरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना। सरकार जल्द ही एविडेंस एक्ट में संशोधन करने जा रही है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को संशोधित करके इन्हें वैज्ञानिक आधार पर सजा दिलाने की यंत्रणा के लिए और पुख्ता करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस के जितने भी ऑब्जर्वेशन है, वह अपराधी को सजा दिला सकें।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 28 जनवरी, 2023 को धारवाड़, कर्नाटक में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस की आधारशिला रखने के दौरान कहा था कि देश फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। श्री शाह ने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए सजा दर बढ़ाने और फॉरेंसिक विज्ञान आधारित जांच के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली को

एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि अगर भारत में कानून -व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी है तो हमें अपना दोषसिद्धि का प्रमाण दर बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा, और कुछ जघन्य अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस की जांच को अनिवार्य करना होगा। अगर हमें फॉरेंसिक साइंस की जांच को पूरे देश के हर थाने में अनिवार्य करना है, तो हमें 8 हजार से 10 हजार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट अगले कुछ सालों में चाहिए। राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनने से पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी 500 छात्रों की थी। अब देश के दूसरे राज्यों में धीरे-धीरे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने के बाद 10,000 एक्सपर्ट हमें निश्चित रूप से मिलेंगे, जो आने वाले कई सालों तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने में कारगर होंगे।

जब भी फोरेंसिक्स की बात आती है, तो केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि आपराधिक जांच का आधार वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साइंस के आधार पर ना हो, कोर्ट में अपराधी को सजा नहीं दिलाई जा सकती। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि 6 साल या उससे ज्यादा जिस भी अपराध में सजा है,उन सभी क्राइम सीन पर सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस के अधिकारी पहुंचे। दिल्ली के बाद कर्नाटक देश का दूसरा राज्य बना है, जिसने शहरी क्षेत्र में 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट विजिट को अनिवार्य कर दिया है।

> देश के सभी राज्यों में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने के बाद दस हजार से ज्यादा विशेषज्ञ हमें मिलेंगे, जो कई वर्षों तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेंगे। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी केवल बच्चों को पढ़ाने और ट्रेंड मैन पावर तैयार करने का काम नहीं करती, बल्कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायता करती है।
>
> **-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

दरअसल, नए तौर-तरीकों से हो रही आपराधिक घटनाओं ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ा दी है। बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से पुलिस और जांच एजेंसियां अपराधियों तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ले रही हैं, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने को मिल रहे हैं। दोषसिद्धि दर में भी वृद्धि हुई है। असल में, आपराधिक वारदातों के सूत्रधारों की धर-पकड़ के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा बलों की आवश्यकता आज समाज और समय की मांग है। अपराधियों या आतंकवादी का स्कैच तैयार कराने के साथ-साथ वारदात के स्थान से मिले सुबूतों की आपराधिक कार्रवाई में उनके इस्तेमाल की पुष्टि में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट काफी सहायक होते हैं। अदालत भी इस विज्ञान की मदद लेकर जांच को आगे बढ़ाती है। आतंकवादी गुत्थियां हों या रहस्यमय मौत, इसे सुलझाने में फॉरेंसिक साइंस की अहम भूमिका होती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ से प्राप्त इनपुट को लेकर ही जांच अधिकारी अदालत के समक्ष हाजिर होता है।

हाल के दिनों में जागरूकता और सतर्कता में वृद्धि के साथ अधिकांश आपराधिक जांच और परीक्षण मानक प्रोटोकाल और मामलों की उचित कार्यवाही के लिए फॉरेंसिक विज्ञान पर निर्भर हैं। एक अच्छी बात यह है कि भारत में मौजूदा कानून न्यायालय में फॉरेंसिक साक्ष्य को स्वीकार्य होने की अनुमति देते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान को विस्तृत करने के लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। साथ ही जांच और परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाओं की भी आवश्यकता है।

वर्तमान में देश भर में कुल सात केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, जो हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यरत है। हाल में भोपाल, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा और गुवाहाटी में नए परिसर भी खोले गए हैं। इन कदमों से यह प्रतीत होता है कि सरकार तकनीक के प्रयोग से न केवल अपराधों की जांच को प्रोत्साहित करना चाहती है, बल्कि सुरक्षा और पुलिस एजेंसियों को अपराधियों द्वारा किए जाने वाले तकनीक-समर्थित अपराधों की समझ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी बनाना चाहती है।

भारत सरकार ने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे नई पहल की शुरूआत की है। चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण लैब बनाया गया है, इसके साथ ही पुणे सीएफएसएल को 62 करोड़, गुवाहाटी सीएफएसएल को 50 करोड़ रूपए, भोपाल सीएफएसएल को 53 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया गया है और कोलकाता सीएफएसएल का 88 करोड़ की लागत से अपग्रेडेशन चालू हुआ है। साल 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि फॉरेंसिक विज्ञान, पुलिस और न्यायपालिका आपराधिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए तीन अहम स्तंभ हैं। इससे नागरिक सुरक्षित महसूस कर पाएंगे और अपराध को काबू में रखा जा सकता है। गुजरात ने इन तीन क्षेत्रों को विकसित करने में समग्र रुख अपनाया है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

अक्टूबर, 2022 में हरियाणा के सूरजकुंड में दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भी फोरेंसिक्स का महत्व बताया था। श्री शाह के मुताबिक, आज अपराधों का स्वरूप बदल रहा है और ये सीमारहित हो रहे हैं, इसलिए सभी राज्यों को मिलकर एक साझा रणनीति बनाकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। इस साझा रणनीति को बनाने और इस पर अमल के लिए सरकार 'सहकारी संघवाद', 'संपूर्ण सरकार' तथा 'टीम इंडिया' अप्रोच के तहत केंद्र और राज्यों में तीन 'सी' यानी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रही है।

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, युगांडा

अफ्रीकी देशों के अंदर अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए भारत ने पूरे महाद्वीप के अंदर एजुकेशन डिप्लोमेसी की शुरूआत की है। भारत पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में अपने प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना करके अफ्रीका में विश्व स्तरीय शिक्षा लाने की तैयारी में है। भारत के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के विदेशी परिसर का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अप्रैल, 2023 युगांडा के जिंजा में किया है। भारत की एजुकेशन पॉलिसी का मकसद, अफ्रीकी देशों की जनता की नजर में प्यार पाना है और 'नागरिक-टू-नागरिक' संबंधों को विस्तार देना है।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के तहत अफ्रीका में छात्रों से फॉरेंसिक विज्ञान पाठ्यक्रमों की उच्च मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि युगांडा में एनएफएसयू परिसर की स्थापना के कारणों में से एक, अफ्रीका के छात्रों के बीच विश्वविद्यालय की उच्च स्वीकृति थी। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जो विशेष रूप से फॉरेंसिक विज्ञान के लिए समर्पित है। इसे गुजरात के अहमदाबाद में हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में स्थापित किया गया था।

युगांडा में एनएफएसयू परिसर युगांडा के पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज के साथ साझेदारी कर रहा है, और इन क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ-साथ फॉरेंसिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और संबद्ध विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह पहली बार है कि भारत के किसी सरकारी विश्वविद्यालय ने देश के बाहर एक शैक्षणिक परिसर खोला है।

एनएफएसयू और युगांडा के अधिकारियों के बीच कुछ समय से बातचीत चल रही थी और इस मुद्दे ने गति उस वक्त पकड़ी, जब युगांडा के राष्ट्रपति ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री ने तुरंत संबंधित मंत्रालयों को एनएफएसयू का समर्थन करने का निर्देश दिया था और फिर जिंजा में ट्रांजिट कैंपस के उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त करने वाला यह प्रस्ताव पास हो गया था।

देश में फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी

- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर,गुजरात
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, दिल्ली
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, पणजी, गोवा
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, भोपाल, मध्य प्रदेश
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, पुणे, महाराष्ट्र
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, गुवाहाटी, असम
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, इंफाल, मणिपुर
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, अगरत्तला, त्रिपुरा
- नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज कैंपस, धारवाड़, कर्नाटक

सरकार का मानना है कि सभी राज्यों को दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और केंद्र सरकार ने इसके लिए एनएफएसयू की स्थापना कर हरसंभव मदद उपलब्ध करवा रही है। इसी साल 16 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर कहा था कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव करने वाली है। देश भर में फॉरेंसिक साइंस का जाल बिछाएंगे। छह साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में फॉरेंसिक जांच को जरूरी करेंगे। फोरेंसिक्स का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी शामिल की गई है। दिल्ली पुलिस में शामिल हुए इन आधुनिक उपकरणों वाली मोबाइल फॉरेंसिक वैन से फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।

एक अगस्त, 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज इसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब यह वटवृक्ष होगा तब अनेक बच्चे यहां से अपना करियर बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ बनने का काम करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही भारत सरकार ने यहां एक डीएनए केंद्र बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिससे यहां देश का सबसे आधुनिक डीएनए केंद्र बनाया जाएगा। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

एनएफएसयू : अपराध पर लगेगी लगाम

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) विश्व भर के फॉरेंसिक साइंस में होते हुए बदलाव का सतत तरीके से अध्ययन कर रही है और हमारे देश की फॉरेंसिक साइंस को विश्व में आगे बढ़ाने व आर एंड डी की व्यवस्था कर देश के बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम कर रही है।

» ब्यूरो

देश और दुनिया भर में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। उन्हीं कदमों के तहत राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) पूर्व में गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (जीएफएसयू) गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक सरकारी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह पूरी तरह से फॉरेंसिक विज्ञान के लिए समर्पित है। गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का गठन 2008 में गुजरात सरकार द्वारा किया गया था। इसे 30 सितंबर 2008 को गुजरात विधान सभा में पारित अधिनियम 17 द्वारा बनाया गया था। अक्टूबर 2020 में संसद के अधिनियम द्वारा इसे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया गया।

महज तीन साल से भी कम समय में केंद्र सरकार की पहल पर लगातार इसके नए-नए केंद्र खोले जा रहे हैं। 25 मई, 2023 को असम की राजधानी गुवाहाटी में दुनिया का 11वां और देश का 10वां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। इसका मूल उद्देश्य अंग्रेजों के समय में तैयार किए गए इन तीनों कानूनों को हमारे संविधान की संरचना के अनुसार बदलना और हमारे देश में दोषसिद्धि की दरों को बढ़ाना है। सरकार 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को अनिवार्य करने जा रही है। इससे देश में फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थियों के लिए जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं इस दिशा में काम करने वाले विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ेगी। इस समय पूरे विश्व में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने वाली और फॉरेंसिक साइंस के हर क्षेत्र को कवर करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि टोटल पुलिसिंग की प्रक्रिया तीन हिस्सों में बंटी हुई है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना और क्राइम की न्यायिक मीमांसा कर दोषी को सजा करवाना। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन तीनों प्रक्रियाओं में फॉरेंसिक साइंस का बहुत महत्व है। पुलिस फॉरेंसिक साइंस की अलग-अलग विधाओं जैसे साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, फिंगरप्रिंट्स आदि वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए बिना थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किए अपराध की जांच कर पाएगी। वहीं गवाह के मुकर जाने की स्थिति में कोर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट के उपरांत बनी पुलिस की चार्जशीट के आधार पर दोषी को सजा सुना सकती है। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की मदद से देश

को दोषसिद्धि दर को बढ़ाने की दिशा में आगे जाना है। श्री शाह ने कहा कि एनएफएसयू के माध्यम से देश में आदतन अपराधियों को सजा दिलाकर समाज में सख्त उदाहरण पेश किया जा सकता है जिससे अपराध करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस की दिशा में हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि हमें दोषसिद्धि दर को विकसित देशों की दर से आगे ले जाना है इसीलिए भारत सरकार देश भर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जाल बुन रही है। भारत सरकार देश के हर जिले में फॉरेंसिक मोबाइल जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। उल्लेखनीय है कि 25 मई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी परिसर का शिलान्यास किया। उन्होंने असम पुलिस की सेवाओं को लोगों के लिए और आसान व पारदर्शी बनाने के लिए वेब पोर्टल 'असम पुलिस सेवा सेतु' को लॉन्च तथा ज्यूडिशरी में फॉरेन्सिक साइंस के प्रयोग को लेकर डॉक्टर जे. एम. व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया। इस शिलान्यास के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भारत में फॉरेंसिक विज्ञान की बात करते हैं, तो पता चलता है कि भारत का पहला सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो वर्ष 1897 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो वर्ष 1904 में क्रियान्वित हुआ था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (सीडीएफडी) के लिए एक उन्नत केंद्र स्थापित किया गया है। आपराधिक मामलों जैसे कि हत्या, आत्महत्या, यौन हमले, आतंकी गतिविधियों, वन्यजीव हत्या और अन्य अपराध मामलों में डीएनए प्रोफाइलिंग, अब विभिन्न पुलिस विभागों, फॉरेंसिक

> **विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध सभी कोर्सेज में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी फॉरेन्सिक साइंस के कोर्स की है। एनएफएसयू से ग्रेजुएट होने का मतलब है, तुरंत ही जॉब प्राप्त कर लेना क्योंकि इसका प्लेसमेंट रेश्यो शत-प्रतिशत है।**
>
> **-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

संस्थानों, वन्यजीव विभागों में जैविक तरल पदार्थ और ऊतक सामग्री से मानव और पशु पहचान के लिये उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत में 80 से अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिनमें गांधीनगर, गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट लवाड, गांधीनगर में शामिल हैं, जहां सुरक्षा उद्देश्यों के लिए छात्रों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

दरसअल, गुवाहाटी में दुनिया का 11वां और देश का 10वां एनएफएसयू का केंद्र स्थापित हुआ है। राज्य सरकार ने इस फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ की जमीन दी है। केंद्र सरकार इस विश्वविद्यालय पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय कर 3 हजार से 5 हजार छात्रों के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन और इसके अस्थाई कैंपस की शुरूआत होने से उत्तर–पूर्व के छात्रों को फॉरेन्सिक साइंस के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली, गुजरात, मुंबई आदि महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि असम में दोष सिद्धि दर को बढ़ाने के लिए चार स्तरीय रणनीति बनाई गयी है। इसमें फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, राज्य स्तर की फॉरेंसिक लैब को अपग्रेड कर आधुनिक बनाना, क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैबों का निर्माण करना, जिला स्तर पर क्राइम के स्थान पर जाकर एविडेंस को एकत्रित करने वाली मोबाइल फॉरेंसिक लैबोरेट्री को सुचारु रखना, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मैनपावर बढ़ाना शामिल है। फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों के मैनपॉवर को उपलब्ध कराने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने और विश्वभर की आधुनिकतम तकनीक को देश में लाने का काम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का है। एनएफएसयू ने एशिया का एकमात्र बैलेस्टिक अनुसंधान केंद्र परीक्षण रेंज, डीएनए फॉरेंसिक साइंस में उत्कृष्टता केंद्र और अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र (International Centre for Humanitarian Forensics) स्थापित किया है। एनएफएसयू द्वारा ड्रोन फॉरेंसिक केंद्र और मनोवैज्ञानिक फॉरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गयी है।

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के अंतर्गत अगले चार–पांच वर्षों में 20 से अधिक

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) आज अनेक देशों के साथ एमओयू कर वहां की पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया को तथा इंटरनेशनल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऑफिसर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। सरकार दोष सिद्धि की दर के रेट को बढ़ाने के लिए 6 साल से अधिक सजा वाले सभी केसों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को अनिवार्य करने जा रही है, इससे पूरे देश में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ेगी, जिसे NFSU पूरा करेगा। विश्व भर में एक मात्र फॉरेन्सिक साइंस की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है।

प्रशिक्षण केंद्र, भारत में 10 परिसर, विदेशों में पांच परिसर और 50-100 संबद्ध कॉलेज खोलने की योजना है। पिछले साल अगस्त में, एनएफएसयू ने इस दिशा में अपना पहला कदम उठाया और लखनऊ के फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में डीएनए परीक्षण केंद्र स्थापित किया था। गौर करने योग्य है कि मार्च, 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के पहले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। पश्चिमी त्रिपुरा के आनंदनगर जिले के श्रीनगर में 50 एकड़ भूमि पर स्थायी परिसर की आधारशिला रखते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि विभिन्न अपराधों से निपटने के लिए संस्थान पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगा।

शिल्यान्यास के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि मैं जब गुजरात का गृहमंत्री था तभी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। श्री नरेन्द्र मोदी जी उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और मैं गृहमंत्री हूं। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में बदल कर सभी राज्यों के बच्चों को पढ़ने का एक समान अधिकार मिले, इसके लिए प्रयास हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर–पूर्व में जहां हम उग्रवाद और घुसपैठ की समस्या से लोहा ले रहे हैं, नारकोटिक्स और साइबर अटैक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उस वक्त यहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड फॉरेंसिक, डीएनए फॉरेंसिक, लाइफ लाइन फॉरेंसिक, जालसाजी की जांच, साइबर अपराध, नारकोटिक्स फॉरेंसिक, ड्रग एनालिसिस विज्ञान, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कई अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम यहां होंगे। यहां से बच्चे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी निकलेंगे। उन्होंने आशा जताई कि इस यूनिवर्सिटी का त्रिपुरा और पूरे उत्तर–पूर्व के राज्यों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आने वाले चार-पांच वर्षों के बाद इस यूनिवर्सिटी से तीन से चार हजार छात्र अपना भविष्य बना रहे होंगे और उस वक्त कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र का कितना विकास होगा। ■

एनएफएसयू के बढ़ते कदम

जम्मू-कश्मीर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर 30 मई, 2023 को कुलपति पद्मश्री डॉ. जे.एम. व्यास की उपस्थिति में गांधीनगर में हस्ताक्षर किए गए। फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर एफएसएल की क्षमता निर्माण और शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस सहयोग को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। डॉ. जे.एम. व्यास, कुलपति, एनएफएसयू ने एनएफएसयू की प्रगति और विस्तार के तरीके की सराहना की और एनएफएसयू ने जम्मू-कश्मीर को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

20 मई को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने दो दिवसीय अहमदाबाद मिरर एजुकेशन एक्सपो-2 में भाग लिया। एक्सपो का उद्घाटन श्री नरहरि अमीन, सांसद-राज्य सभा और विशिष्ट अतिथि, डॉ. जे.एम. व्यास, वीसी-एनएफएसयू द्वारा किया गया। इसमें छात्र, शोधकर्ता ने एनएफएसयू स्टॉल पर आकार काफी जानकारी हासिल की। हाल ही में 'फोरेंसिक में क्लिनिको-हिस्टोपैथोलॉजिकल तकनीकों पर एनएफएसयू-एम्स मेडिको-लीगल संगोष्ठी' का आयोजन स्कूल ऑफ मेडिको-लीगल स्टडीज, एनएफएसयू में किया गया। इसका उद्देश्य फोरेंसिक प्रथाओं में हिस्टो-पैथोलजिकल तकनीकों के मूल सिद्धांतों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए एक मंच पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी भागीदारों को एक साथ लाना है। जैसा कि अपराधियों के प्रकार और अपराधियों के तौर-तरीके लगातार बदल रहे हैं, योग्य और कुशल फोरेंसिक विशेषज्ञों को आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली का समर्थन करने के लिए फोरेंसिक सबूतों की जांच और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ-साथ अपने अत्यधिक विशिष्ट और अंत:विषय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कारण, एसएफएस, गांधीनगर फोरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का प्रतीक है।

कुछ दिन पूर्व ही जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, ज्ञान और सूचना का आदान-प्रदान करने और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी कौशल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर श्री सुरजीत भुजबल, प्रधान महानिदेशक, डीजीजीआई और डॉ. जे.एम. व्यास, कुलपति, एनएफएसयू, गांधीनगर ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग कर चोरी का पता लगाने, नकली चालान रैकेट का भंडाफोड़ करने और उनके पीछे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में डीजीजीआई की खोजी और फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ, डीजीजीआई पर्याप्त कर चोरी का पता लगाता है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी अभियोजन शुरू करता है। यह सहयोग डीजीजीआई और एनएफएसयू को डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ स्थापित करने, संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और एक दूसरे को तकनीकी सहायता प्रदान करने में सक्षम करेगा। डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ, डीजीजीआई के पास डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे, कौशल सेट और जानकारी तक पहुंच होगी, इस प्रकार वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने और कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने में इसकी क्षमता बढ़ेगी। डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना से भारत की जांच और फोरेंसिक क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी, जिससे सरकार वित्तीय अपराधों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होगी।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022

अब बच नहीं पाएंगे अपराधी

सरकार की मंशा है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे सलाखों के पीछे लाना ही है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने संसद से नए कानून को पारित कराया।

» ब्यूरो

20 सितंबर, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 के तहत उन नियमों को अधिसूचित कर दिया है , जो पुलिस को अपराधों में लिप्त दोषियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। अब एक अधिकृत व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी, केंद्र या फिर राज्य सरकार का जेल अधिकारी भी हो सकता है, को आरोपियों के उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटो, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल, बायोलॉजिकल नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, दस्तखत, लिखावट या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या धारा 53 ए में संदर्भित किसी अन्य जांच से संबंधित माप ले सकता है। इस कानून में बताया गया है कि ऑथराइज्ड यूजर या माप लेने में कुशल कोई भी शख्स, सर्टिफाइड डॉक्टर या इस तरह से ऑथराइज्ड कोई अन्य शख्स किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति का माप ले सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम एसपी रैंक के अफसर से लिखित में मंजूरी लेना जरूरी है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 लोकसभा में 4 अप्रैल 2022 और राज्यसभा में 6 अप्रैल 2022 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे 18 अप्रैल 2022 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। अब तक अपराधियों की पहचान और उनसे जुड़े केस के मामले 'द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920' लागू था। यह कानून पुराना और अंग्रेजों के जमाने का था, जबकि इस पुराने कानून की अपनी सीमाएं भी रहीं। इस कानून के तहत अपराधियों के केवल फिंगर और फुटप्रिंट लेने की अनुमति देता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फोटो लिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून 'द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920' की जगह उपयोग में आया है। नए कानून के आने से किसी भी मामले में दोषी और गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान के लिए अधिकारी हर तरह की माप ले सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों की तर्ज पर देश की पुलिस को आधुनिकतम तकनीक से लैस करते हुए आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक सुबूतों का दायरा बढ़ाते हुए न्यायिक जांच को दक्ष बनाना है, ताकि भारत में दोष सिद्धि की दर में वृद्धि की जा सके।

जब इस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो कई सांसदों ने इसको लेकर आशंकाएं व्यक्त की। तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने स्पष्ट करते हुए लोकसभा में बताया था कि शांति भंग करने की आशंका और राजनीतिक विरोध के केस में हिरासत में लिए गए लोगों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1920 का बंदी शिनाख्त कानून समय और विज्ञान के अनुसार और दोष सिद्ध साबित करने के लिए अदालतों को जिस तरह के नतीजे चाहिए उसे समाने लाने में यह कानून बड़ी बाधा है। यह बिल किसी दोष को सिद्ध करने में एजेंसियों की मदद करेगा। जब तक दोष सिद्ध का प्रमाण नहीं बढ़ता तब तक देश में कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को स्थापित करना, मजबूत बनाना और उसे बहाल करना संभव नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बिल को लेकर आज मैं सदन में आया हूं।

नए आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम में यह भी कहा गया है कि अपराधियों का डेटा 75 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से माप का रिकॉर्ड एकत्र करने का अधिकार है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मापन के रिकॉर्ड का भंडारण, संरक्षण और नष्ट करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के उद्देश्य से माप देने के लिए मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को निर्देश देने का अधिकार है। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि कानून से अपराधियों की पहचान आसान हो जाएगी और जांच ज्यादा तेज हो पाएगी। इससे कोर्ट में अभियोजन और दोष साबित करने का रेट भी बढ़ेगा।

अब पुलिस अपराधियों के निजी, भौतिक एवं जैविक रिकॉर्ड को सुबूतों के तौर पर एकत्र कर सकती है। जैविक रिकॉर्ड में अपराधियों के बायोमीट्रिक रिकार्ड जैसे रेटिना एवं आंखों की पुतली के स्कैन, रक्त के नमूने आदि शामिल है, वहीं भौतिक डाटा के रूप में लोगों के मानवीय व्यवहार से संबंधित नमूने जैसे हस्ताक्षर और लेखनी आदि का रिकार्ड भी एकत्र किया जा सकता है, जिससे समय आने पर इस रिकार्ड के माध्यम से अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस अधिनियम में सुबूतों के साथ-साथ अभियुक्तों का दायरा भी बढ़ाया गया है। इस प्रकार पूर्व संग्रहित आपराधिक रिकार्ड की मदद से अपराधी तक पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। इससे अपराधियों पर थर्ड डिग्री के प्रयोग की आवश्यकता के अवसर भी कम होते चले जाएंगे। फलस्वरूप पुलिस पर अमूमन लगने वाले मानवाधिकारों हनन के आरोपों में भी कमी आएगी। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदि देशों में पहले से ही इस प्रकार के आपराधिक पहचान कानून प्रभावी हैं, जिसके कारण वहां दोष सिद्धि की दर बहुत ऊंची है।

भारत जैसे विशाल एवं जटिल सामाजिक संरचना वाले देश में अपराध नियंत्रण की चुनौती को स्वीकार करते हुए 2014 में प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा दी थी। इसके तहत न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र से संबंधित सुधार के अलावा कई सुधारवादी बिल अभी पाइपलाइन में हैं। जैसे अपराधियों से निपटने के लिए नेक्स्ट जेन पुलिसिंग बिल, भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन एवं सुधार बिल, आदर्श कारागार नियमावली आदि। इसके साथ-साथ केंद्रीय फॉरेंसिक लैब विश्वविद्यालय की स्थापना भी अहम है। इसमें दो राय नहीं कि इनकी मदद से अपराधियों की गर्दन तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस एवं न्यायिक तंत्र का बोझ भी काफी हद तक कम हो सकेगा। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम से निजता और मौलिक अधिकारों के हनन और साथ ही डाटा के दुरुपयोग होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसी आशंका निराधार है। ■

सरल और स्पष्ट शब्दों में हो कानून

बीते नौ वर्षों में वर्तमान सरकार ने देश में विभिन्न कानूनों को प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत काम किया है। देशहित में कई नए समयानुकूल कानून बनाने का काम भी किया गया है। पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करके, समाज और अदालतों को कानूनों के जाल से मुक्त किया गया है। विधायी प्रारूपण (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में जानकारी का अभाव न केवल कानूनों और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है, बल्कि न्यायपालिका के कार्यों को भी प्रभावित करता है।

» ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 2015 से अब तक लगभग दो हजार अप्रासंगिक कानून निरस्त किये हैं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई हैं। सरकार ने कानूनों के जंजाल से वकीलों, समाज और अदालतों को मुक्ति देने का काम किया है। देशहित में कई समयानुकूल कानून बनाने का काम भी सरकार ने किया है। गृह मंत्री का मानना है कि कानून लिखते समय विधायिका की मंशा को स्पष्ट रूप से, बिना दुविधा के सरल और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें खामी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संसद और राज्य विधायिकाओं के अधिकारियों से आग्रह किया कि कानून का मसौदा सरल और स्पष्ट शब्दों में बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी बिन्दु पर कोई टकराव न हो। श्री शाह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानती है। एक प्रकार से लोकतंत्र का जन्म ही भारत में हुआ था और इसका विचार भी भारत में आया था। आज भारत में हर जगह पर लोकतंत्र की जननी के संस्कार को हमने समाहित किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के संविधान को दुनिया का सबसे परिपूर्ण संविधान माना जाता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ देश के परंपरागत लोकतांत्रिक संस्कारों को इसमें शामिल किया, बल्कि इसे आज के समय की जरूरतों के अनुसार आधुनिक बनाने का प्रयास भी किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 15 मई, 2023 को विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसका उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, मंत्रालयों, वैधानिक निकायों व सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना था। कार्यक्रम लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, श्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

संसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक इच्छा को कानून के सांचे में ढालने का काम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजनीतिक ईच्छाशक्ति लोगों की समस्याओं के समाधान के रास्तों और देश की अलग-अलग जरूरतों को कानून का स्वरूप देने का काम विधायी विभाग का है और इसीलिए ड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग जितनी अच्छी होगी, शिक्षा उतनी ही सरल हो जाएगी और एक्जीक्यूटिव द्वारा गलती करने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। ड्राफ्टिंग में ग्रे एरिया छोड़ने से व्याख्या करते समय इसमें एन्क्रोचमेंट की संभावना रहेगी और, अगर ड्राफ्टिंग परिपूर्ण और स्पष्ट है तो इसकी व्याख्या भी स्पष्ट हो जाएगी। श्री अमित शाह ने कहा कि हमें जितना संभव हो उतने सरल और स्पष्ट शब्दों में ड्राफ्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लिष्ट शब्दों में ड्राफ्ट किया हुआ कानून हमेशा विवाद खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि कानून जितना सरल और स्पष्ट शब्दों में होता है, उतना ही अविवादित होता है। श्री शाह ने कहा कि अदालत को हस्तक्षेप करने का मौका न मिले, ऐसा कानून बनाना अच्छे कानून के ड्राफ्टिंग का मॉडल है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सरल और स्पष्ट भाषा में कानून को ड्राफ्ट करने का होना चाहिए। ■

दो दशक पहले गुजरात में रखी फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की नींव, अब क्राइम कंट्रोल में निर्णायक साबित हो रही

2009 में जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और श्री अमित शाह गृह मंत्रालय संभाल रहे थे तब GFSU की स्थापना की गई। यह मोदी जी की दूरदर्शिता को दिखाता है। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाते देश भर में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर यह जोड़ी अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में क्रांति ला रही है।

» ब्यूरो

समय के सापेक्ष देश की पुलिस व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। केंद्र सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है। अपराधों की बदलती प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए बीते दशक से फॉरेंसिक विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल, इसकी शुरूआत इस सदी की शुरूआत में ही हो गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय उन्होंने अपराध को नियंत्रित करने के लिए दूरदर्शी सोच बना ली थी और इसके लिए दीर्घकालीक योजनाओं पर काम शुरु किया। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ा रहे थे।

नेशनल क्राइम ब्यूरो ने उस समय गुजरात को सबसे शांत प्रदेश माना। उसी समयावधि में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक फॉरेंसिक प्रयोगशाला का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वह आज नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के रूप में एक मानक बन चुका है। इसके साथ ही हाइवे यातायात पुलिस का पुनर्गठन करके हाइवे पर होने वाले अपराधों को लगभग शून्य पर पहुंचा दिया था। राज्य में अपराधों की दर में बेहद कमी आई और बेहतर पुलिसिंग के कारण दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई। दो दशक पहले श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि थी कि जब तक फॉरेंसिक साइंस एविडेंस मजबूत तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रखा जाता, तब तक दोषसिद्धि का प्रभाव नहीं बढ़ा सकते। इसलिए उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री को पुलिस विभाग से स्वतंत्र करने के साथ-साथ उसे मजबूत बनाकर देश की सबसे अच्छी फॉरेंसिक साइंस लैब बनाने का निर्णय लिया। बाद में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में श्री अमित शाह ने काम करना शुरू किया तब फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की शुरूआत हुई।

श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बतौर राज्य के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक अलग छाप छोड़ी थी। उनके कार्यकाल में एक ऐसे राज्य के लिए सामान्य स्थिति में वापसी देखी गई, जिसने बार-बार सांप्रदायिक आक्षेप और कर्फ्यू के लंबे चरणों को देखा था। श्री अमित शाह ने नवाचार किए और चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट प्रकरण के तत्काल बाद, श्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने और अंततः समाप्त करने की आवश्यकता पर एक बड़ी बहस का आह्वान किया। उन्होंने बहुत मार्मिक, लेकिन साहसिक सुझाव दिए। उन्होंने तर्क दिया था कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आतंकवाद पर बहस को सीमित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है। आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति पर किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। गुजरात के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस अपने आप में एक मानवाधिकार है। इसलिए पुलिस निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है।

उल्लेखनीय है कि श्री अमित शाह ने महज 37 वर्ष की आयु में गुजरात जैसे राज्य के गृह मंत्री का दायित्व संभाला था। कई सौ किलोमीटर की समुद्री सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया। उस समयावधि में पुलिस के आधुनिकीकरण से जुड़े अभियान के तहत हर पुलिस थाने को कंप्यूटर दिए गए और उन्हें इंटरनेट से जोड़ा गया। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पेशेवर फर्म की सेवाएं ली गई थीं, जो अभी भी बिना किसी दिक्कत के काम कर रहा है और तकनीक की समझ रखने वाले कॉन्स्टेबलों को सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो देश का सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय है।

हाल ही में एक आयोजन के दौरान स्वयं केंद्रीय गृहमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर किए गए उपायों के चलते वहां दोषसिद्धि की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उठाए गए कदमों, मसलन-पुलिस थानों के कंप्यूटरीकरण और सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर केंद्रित विश्वविद्यालयों की स्थापना के चलते 2012 में गुजरात में दोषसिद्धि दर में 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही उन्होंने यह साझा किया था कि वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य की पुलिस प्रणाली में एक समग्र दृष्टिकोण लाने का फैसला किया, जो (प्रणाली) अंग्रेजों के समय से ज्यादा नहीं बदली थी और लोग भी इसे सिर्फ रोजगार के साधन के रूप में देख रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया और आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

आदर्श कारागार अधिनियम, 2023

130 साल बाद देश को मिला नया कानून

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने एक व्यापक 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया है, जो राज्यों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है

» ब्यूरो

परिवर्तन समयानुकूल हो, तो उसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय समय और देशकाल के सापेक्ष ऐसे कई पुरानी व्यवस्था में बदलाव करता आ रहा है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय द्वारा 'कारागार अधिनियम, 1894', 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950' की समीक्षा की गई है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' में शामिल किया गया है। इसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। नए कारागार अधिनियम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा, इस अधिनियम से जेल प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और कैदियों के सुधार और पुनर्वास का प्रावधान किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कारागार अधिनियम, 1894 के संशोधन का ज़िम्मा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) को सौंपा और ब्यूरो ने राज्य कारागार प्रशासन, सुधार विशेषज्ञों आदि से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसका एक प्रारूप तैयार किया है।

पिछले कुछ दशकों में, विश्वस्तर पर जेलों और कैदियों के बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ है। आज, जेलों को सजा के स्थान के रूप में नहीं बल्कि ऐसे सुधारात्मक और परिवर्तन करने वाले संस्थानों के रूप में देखा जाता है जहां कैदियों के व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज के साथ दोबारा जोड़ा जाता है। वर्तमान 'कारागार अधिनियम, 1894' आजादी से पूर्व का अधिनियम है और लगभग 130 वर्ष पुराना है। यह अधिनियम मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था लागू करने पर केंद्रित है और इसमें कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।

नए मॉडल कारागार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों को अलग-अलग रखने, वैयक्तिक सजा योजना बनाने के लिए प्रावधान
- शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, बंदियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन
- महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि को अलग रखने का प्रावधान
- कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान
- अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी पहल आदि का प्रावधान
- जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करने वाले बंदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिए दण्ड का प्रावधान
- उच्च सुरक्षा जेल, ओपन जेल (ओपन और सेमी ओपन), आदि की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में प्रावधान
- खूंखार और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को बचाने का प्रावधान
- कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई आदि के लिए प्रावधान
- कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास और उन्हें समाज से दोबारा जोड़ने पर बल देना

नए कारागार अधिनियम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा, इस अधिनियम से जेल प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और कैदियों के सुधार और पुनर्वास का प्रावधान किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्णायक मार्गदर्शन में औपनिवेशिक काल के पुराने कारागार अधिनियम की समीक्षा और आज की जरूरतों और सुधार पर जोर देने के लिए इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान कारागार अधिनियम की मौजूदा कमियों, जिनमें जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग, पैरोल, फर्लो (Furlough) प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए कैदियों की सजा माफ करने, महिला/ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान, कैदियों की शारीरिक और मानसिक कुशलता के प्रावधान करने तथा कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान, आदि को शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने एक व्यापक 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया है, जो राज्यों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा, 'कारागार अधिनियम, 1894', 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950' की भी समीक्षा की गई है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' में शामिल किया गया है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' में अपनी जरूरत के अनुसार संशोधन करके इसे अपने यहां लागू कर सकते हैं और मौजूदा तीन अधिनियमों को निरस्त कर सकते हैं। ■

संकल्प से मिलेगी सफलता

» ब्यूरो

किसी भी राष्ट्र की यात्रा उसके समाज की यात्रा में प्रतिबिम्बित होती है। विदेशी आक्रमणकारियों की ओर से भारतीय समाज पर सैकड़ों वर्षों तक किए गए अत्याचारों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी पहचान को मिटने और अपनी आस्था को खंडित नहीं होने दिया। हम इस सफल समाज की मौजूदा पीढ़ी में सदियों पहले के बलिदानों के प्रभाव को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कड़वा पाटीदार समाज की 100वीं वर्षगांठ को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कड़वा पाटीदार द्वारा समाज सेवा के 100 वर्ष, युवा शाखा के 50 साल और महिला शाखा के 25 वर्ष पूरे होने के सुखद संयोग का उल्लेख किया। सफलता और समृद्धि उस समय सुनिश्चित होती है, जब समाज के युवा व महिलाएं अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'सनातन केवल एक शब्द नहीं है, यह नित्य-नवीन है, नित्य-परिवर्तनशील है। इसमें अतीत से स्वयं को बेहतर बनाने की इच्छा शामिल है और इसलिए यह शाश्वत, अमर है।'प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि कच्छ कड़वा पाटीदार समुदाय लकड़ी, प्लाईवुड, हार्डवेयर, संगमरमर, निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों में अपने श्रम और क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। इस समाज ने अपने वर्तमान का निर्माण किया और अपने भविष्य की नींव रखी है। भविष्य की दृष्टि से पाटीदार समाज का सौ साल पुराना इतिहास और श्री अखिल भारतीय कच्छ कड़वा समाज की सौ साल की यात्रा, भारत और गुजरात को समझने का एक माध्यम है। प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक जीवन और इस समाज के साथ जुड़ाव का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कई विषयों पर कड़वा पाटीदार समाज के साथ काम करने के अवसरों को याद किया। उन्होंने इसका उल्लेख किया कि कैसे कच्छ को देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता था, जहां जल संकट, भुखमरी, जानवरों की मौत, पलायन और बदहाली के मुद्दे इसकी पहचान बन गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'लेकिन कई वर्षों से हमने मिलकर कच्छ का कायाकल्प किया है।' कच्छ के जल संकट को हल करने और इसे विश्व के एक विशाल पर्यटन स्थल में बदलने के लिए किए गए कार्यों का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इसे 'सबका प्रयास' का एक बड़ा उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने आज देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले जिलों में कच्छ के होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने इस क्षेत्र से बेहतर कनेक्टिविटी, बड़े उद्योगों व कृषि निर्यात का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए समाज की सराहना की।

सामाजिक समरसता, पर्यावरण और प्राकृतिक खेती, ये सब देश के अमृत संकल्प से जुड़े हैं। कड़वा पाटीदार समाज ने अपने वर्तमान का निर्माण किया और अपने भविष्य की नींव रखी है।

प्रसन्नता व्यक्त की कि इस समाज ने अगले 25 वर्षों के लिए सोच और संकल्प सामने रखे हैं, जो उस समय साकार होंगे, जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा। जो संकल्प लिए गए हैं, चाहे वह सामाजिक समरसता हो, पर्यावरण हो, प्राकृतिक खेती हो, सभी देश के अमृत संकल्प से जुड़े हैं। अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अखिल भारतीय कच्छ कड़वा समाज के प्रयास इस दिशा में देश के संकल्पों को बल देंगे और उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। ■

आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको सिस्टम बन चुका है

जब हम टेक्नालॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो टेक्नोलॉजी सशक्तीकरण का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है।

» ब्यूरो

महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है- परमाणु परम महत्त्व अन्तः अस्य वशीकारः। यानि जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब प्रयोग से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले, एक वर्ष में 4 हजार के आसपास पेटेंट दर्ज होते थे। आज इसकी संख्या सालाना 30 हजार से भी ज्यादा हो गई है। 10 साल पहले भारत में सालाना 10 हजार डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज सालाना 15 हजार से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले, सालाना 70 हजार से भी कम ट्रेड मार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना ढाई लाख से ज्यादा ट्रेड मार्क रजिस्टर हो रहे हैं।

11 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष के समारोह में अटल इनोवेशन मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन पैवेलियन में कई नवीन परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा और आगंतुकों को नवाचार सत्र देखने, अनुसंधान गतिविधियों में शामिल होने, स्टार्टअप्स के उत्कृष्ट नवाचारों और उत्पादों को देखने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो एक टेक लीडर कन्ट्री के लिए जरूरी होता है। 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इनक्यूबेशन सेंटर थे। आज भारत में ऐसे केंद्रों की संख्या 650 को पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें नंबर पर था वहां से ऊपर उठकर 40वें स्थान पर पहुँच चुका है। देश के युवा और विद्यार्थी अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्ट-अप्स की संख्या भी कुछ सौ के आस-पास ही थी। आज हमारे देश में अधिकृत स्टार्ट-अप्स की संख्या भी करीब-करीब एक लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है। ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य और टेलेंट दिखाता है। मैं फिर कहूंगा, नीति बनाने वाले के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हमारी हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल ऑफ स्टार्ट-अप की यात्रा हमारे छात्र करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर मार्गदर्शन करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा।

इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते नौ वर्षों में एक मजबूत बुनियाद तैयार हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए इस अवधि में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टेलेंट दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। ■

फॉरेंसिक के जरिए सुलझाए गए ये मामले

बीते कुछ वर्षों से तकनीक का दुरुपयोग पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में अपराधियों तक पहुंचने और उनकी पहचान के लिए फोरेंसिक विज्ञान कई प्रकार से सहूलियत प्रदान करती है। कई रहस्यमयी हत्याओं से लेकर आर्थिक धोखाधड़ी के बड़े मामलों तक, मामलों को अंजाम देने में फोरेंसिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

» ब्यूरो

देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बहुत जरूरी हस्तक्षेप के कारण अनसुलझे मामलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीएफएसएल, पुणे के डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, मुंबई बैंक द्वारा 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के 15 से अधिक हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले/परिष्कृत लैपटॉप/नोटबुक/मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल थे। सुरक्षा पासवर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और सोशल इंजीनियरिंग की मदद से पासवर्ड क्रैक किए गए। कई डिवाइस अनलॉक किए गए।

सीएफएसएल के सुरागों के परिणामस्वरूप आतंकवादियों द्वारा किए गए हवाला संचालन के एक जटिल नेटवर्क को डिकोड किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े आतंकवाद और हवाला फंडिंग के एक मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), नई दिल्ली द्वारा सीएफएसएल, पुणे के डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन को भेज दिया गया था। मामला बहुत बड़ा था और इसमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर), हार्ड डिस्क (एचडीडी), मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जुड़े 80 प्रदर्शन शामिल थे। कई आपत्तिजनक और वर्गीकृत जानकारी प्राप्त की गई थी, जो अपराध को स्थापित कर सकती थी। इजराइली मूल के विदेशी नागरिक से जुड़ा एक अन्य मामला, जो एक सैटेलाइट फोन लेकर भारत की यात्रा पर था, को गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर पकड़ा गया और आरोपी के पास से बनाया गया इरिडियम का सैटेलाइट फोन जब्त किया गया। इसकी पूरी जानकारी और दोषी को सजा दिलाने में गोवा पुलिस को सीएफएसएल पुणे से पूरा सहयोग मिला था।

सीएफएसएल ने वीडियो और ऑडियो संबंधी जटिलताओं से जुड़े आपराधिक मामलों का सुराग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडियो एन्हांसमेंट और चेहरे की पहचान का एक मामला महाराष्ट्र पुलिस से प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच सीएफएसएल, पुणे के डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन में की गई थी। मामला एक लापता महिला और उसके बच्चे का था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मानक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उपलब्ध कराई गई थी। एएमपीईडी 5 टूल का उपयोग करके संभावित एन्हांसमेंट किया गया था,लेकिन कम पिक्सेल वैल्यू के कारण फेस रिकग्निशन करना संभव नहीं हो सका। इसी प्रकार महाराष्ट्र पुलिस, गंगाखेड, परभणी जिले से एक मामला प्राप्त हुआ, जिसमें आरोपी ने मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप पर एक धर्म-विरोधी वीडियो संदेश भेजा, जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ भाषण शामिल है। प्रयोगशाला ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड की जांच की थी और मोबाइल और व्हाट्सएप डेटा (किसी विशेष मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप से विशेष वीडियो संदेश) को पुनः निकाल लिया था। जिन विशेष व्हाट्सएप नंबरों पर आरोपी ने उक्त वीडियो भेजा था, उन्हें भी पुनः प्राप्त किया गया।

इसी तरह, रहस्यमय हत्याओं के कई मामले हैं, जिनमें सीएफएसएल ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जिससे अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। सीएफएसएल, पुणे में जीव विज्ञान प्रभाग को एक विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का एक मामला प्राप्त हुआ, जिसमें जांच एजेंसी द्वारा पीड़िता के योनि स्वैब सहित कई सबूत एकत्र की गईं। विश्लेषण करने पर पाया गया कि योनि स्वैब ने वीर्य के लिए और आरोपी के साथ मेल खाने वाले एक ही रक्त समूह के समूह पर सकारात्मक परिणाम दिया। वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए न्यायालय को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया।

भारतीय सेना से संदर्भित एक अन्य उच्च प्रोफाइल मामले में आरोपी और कर्नल रैंक के पीड़ित दोनों शामिल थे, जीव विज्ञान प्रभाग ने सीएफएसएल, अहमदनगर, महाराष्ट्र से रुके हुए कोर्ट मार्शल मामले में तेजी लाने के लिए एक सप्ताह की अवधि के भीतर परिणाम प्रदान किए। केस रिपोर्ट ने कोर्ट मार्शल अथॉरिटी को मामले में निर्णय लेने में आगे बढ़ने में मदद की।

ऐसी कई अनूठी कहानियां हैं, जहां फोरेंसिक जांच ने जांचकर्ताओं को बहुत जरूरी सहयोग प्रदान किया है। ऐसे ही एक मामले में, डीएनए परीक्षण, हथियार की एक बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में एक आपराधिक मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दिल्ली के कुछ मामले भी हैं। एक केस में व्हाट्सएप प्रोफाइल तस्वीर में उसने जो टी-शर्ट पहन रखी थी, उसके सहारे ही दिल्ली में हत्या के एक संदिग्ध का पता लगाने में मदद मिली। वहीं, एक अन्य मामले में विवाहित महिलाओं को उनकी कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल कर कथित तौर पर ब्लैकमेल करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसने अपनी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सबूत मिटा दिए थे। ये कुछ ऐसे 'ब्लाइंड केस' हैं, जिन्हें इस साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जुड़ी नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब (एनसीएफएल) के प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से सुलझाया जा सका। ऐसे मामलों में, जिसमें किसी बंदूक या खून के धब्बों का कोई काम नहीं होता है, तमाम अदृश्य सुरागों के निशान इंटरनेट ईथर या हार्डवेयर में छिपे रहते हैं। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सुरक्षित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक है ड्रोन फॉरेंसिक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय में ड्रोन फॉरेंसिक एवं ड्रोन रेगुलेशन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस संगठनों सीएपीएफ/सीपीओ के अधिकारियों ने भाग लिया।

» ब्यूरो

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की ओर से 30 मई, 2023 को ड्रोन फॉरेन्सिक और उसके नियमन को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पूरे देश से सीएपीएफ और विभागीय लोगों को विशेषज्ञों ने बारिकियों से अवगत कराया। राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने हाल के दिनों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग और उसके नियमन पर बात की। उन्होंने बताया कि तकनीक के सहारे जिसका प्रयोग सहूलियत के लिए किया जा रहा था, आपराधिक और असामाजिक तत्वों ने उसका उपयोग अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए भी करना शुरू कर दिया है। हमारी पुलिस हर पल अपडेट होती है और हर चुनौती के लिए तैयार होती है। हमें ड्रोन के गलत इस्तेमाल की जानकारी है। ऐसे अपराधियों तक पहुंचने और उन्हें सजा दिलाने के लिए ड्रोन फॉरेंसिक की जरूरत है।

श्री बालाजी श्रीवास्तव ने खुशी जताई कि इस कार्यशाला में आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम कर चुका है। बीते कुछ समय से फॉरेंसिक ने अपराधियों तक पहुंचने और अपराध को कम करने में कारगर भूमिका निभाई है। इसलिए हम सभी को ड्रोन फॉरेंसिक से काफी उम्मीद है।

अपने संबोधन में महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने कहा कि 15 अगस्त, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब 'जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान' के साथ 'जय अनुसंधान' जोड़ने का समय आ गया है। अब 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान' हो। जाहिर है कि यह समय विज्ञान के उत्कर्ष है। विज्ञान के माध्यम से ही हमें चुनौतियां मिलेंगी और उसका समाधान भी विज्ञान ही देगा। ड्रोन हमें आत्मनिर्भर भारत और सुरक्षित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा।

शुरूआत में ही कार्यशाला की रूपरेखा को लेकर ब्यूरो की निदेशक आधुनिकीकरण श्रीमती रेखा लोहानी ने अपना वक्तव्य दिया। तकनीकी सत्र में आईआईटी मद्रास के प्रो भास्कर राममूर्ति, डीआरडीओ के वैज्ञानिक श्री जितेश सचदेवा ने वर्तमान में ड्रोन की उपयोगिता और उसके तकनीकी पक्ष पर बात की। साथ ही समझाया कि देश के सामने समाजिक तत्वों की ओर से जो चुनौती मिलेगी, उससे ड्रोन के माध्यम से कैसे लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है। इस सत्र की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक श्री प्रणब मोहंती ने किया।

दूसरे सत्र में ड्रोन फॉरेंसिक पर आईआईटी कानपुर की सहायक प्रोफेसर डॉ उर्बी चटर्जी ने एनएफएसयू गांधीनगर के एसोसिएट प्राफेसर डॉ निलय मिस्त्री ने विस्तार से समझाया। इस सत्र की अध्यक्षता बीसीएएस के संयुक्त महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद ने की।

राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अपर महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को आधुनिक साज-सज्जा से तैयार रहना होगा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लेकर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अपराधियों तक पहुंचने के लिए ड्रोन की उपयोगिता सिद्ध हो रही है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हम आने वाले समय की चुनौतियां से निबटने के लिए नवीन उपायों को तलाशेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे।

वक्ताओं के संबोधन में यह बात सामने आई कि ड्रोन का इस्तेमाल सही है या गलत इस बहस से इतर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि बदलते दौर में सरकारी विभागों, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ड्रोन एक जरूरत बन कर उभरा है. इस तकनीक का इस्तेमाल आतंकी संगठन भी कर रहे हैं। इसके जरिए रेकी कर वह किसी भी संवेदनशील इमारत के बारे में न सिर्फ सटीक जानकारी जुटा सकते हैं, बल्कि उसे तबाह भी कर सकते हैं। अब तो किसी भी खेल में कवरेज और उसे विभिन्न एंगलों से कवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुतायत से किया जाने लगा है। आतंकवादी व राष्ट्र विरोधी ताकतें ड्रोन के जरिए ड्रग्स व गोला बारूद अब तक गिराते आए हैं। लेकिन अब ड्रोन के जरिए हमले की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ड्रोन (अनमैन्ड एरियल व्हीकल-यूएवी) से हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) ने बेहतर तैयारी की है। ■

दिल्ली में छह साल से अधिक सजा पाने वाले केसों में फॉरेंसिक्स जांच हुआ अनिवार्य

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने लिया ये अहम फैसला

पहले की अपेक्षा अब न्याय जल्द मिलेगा और दोषसिद्धि दर में वृद्धि भी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से दिशा-निर्देश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है।

» ब्यूरो

न्याय में देरी नहीं हो। समुचित सबूतों के बाद ही अपराधियों को सजा मिले। पूरी जांच प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से हो। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रकार की पहल की गई है। उसी में से एक है छह साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधियों के मामले में फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता। दिल्ली में यह लागू कर दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया और दिल्ली पुलिस की ओर से इसे लागू कर दिया गया। दिल्ली पुलिस में जांच की नई शुरुआत हुई है। इससे दोषसिद्धि दर बढ़ेगी और आपराधिक न्याय प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। गंभीर प्रकृति के चिन्हित अपराधों में पुलिस द्वारा कानूनी जांच के बाद ही चार्जशीट दाखिल करने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के कहने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सभी जिलों में दिल्ली पुलिस के अपने सचल वाहनों के अलावा प्रत्येक जिले में एक फोरेंसिक सचल वाहन आवंटित किया जाएगा जो जांच अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर मौके पर वैज्ञानिक तथा फॉरेंसिक सहायता प्रदान करेगा। ये वाहन वैज्ञानिक उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित होंगे। फॉरेंसिक सचल वाहन शहर पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं रहेंगे, बल्कि स्वतंत्र निकाय की तरह काम करेंगे और अदालत के प्रति जवाबदेह होंगे।

दिशा-निर्देशों के अनुसार जब भी कोई घटना सामने आती है और थाना प्रभारी या जांच अधिकारी को पता चलता है कि ऐसा अपराध दर्ज हो सकता है जिसमें सजा छह साल या उससे अधिक कैद की हो सकती है और अपराध स्थल से कुछ फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की जरूरत है तो वह फॉरेंसिक सचल वाहन को मौके पर बुलाएंगे। जांच अधिकारी फॉरेंसिक मोबाइल वैन के प्रभारी से अपराध स्थल के मुआयने तथ मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए औपचारिक अनुरोध करेंगे। वाहन प्रभारी अपनी टीम की मदद से सभी साक्ष्य एकत्रित करेंगे।

इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था पर चर्चा के साथ संवेदनशील पुलिसिंग, अपराधों की वैज्ञानिक और पेशेवर जांच, कानून और न्याय प्रबंधन, साइबर अपराध, प्रशिक्षण, भविष्य की चुनौतियों और पुलिस कर्मियों के कल्याण की गहन समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शिकायतों का समय से निस्तारण और आनलाइन शिकायत के क्रम में शिकायतकर्ता को उसकी लंबित शिकायत के बारे में जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही। केंद्रीय गृह एंव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस और पुलिस थानों के समय पर निरीक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई और महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात प्रमुखता से कही। साथ ही सुरक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई।

केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय की एक टीम को कुछ ऐसे देशों का दौरा करना चाहिए जहां जी-20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, आम जनता की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी सुविधा भी दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए बुनियादी ढांचे और सिग्नलिंग के लिए एक उचित रणनीति विकसित की जानी चाहिए और एक वैकल्पिक कार्य योजना विकसत की जानी चाहिए, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। ■

शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

चार दिवसीय मणिपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने हर पक्ष के लोगों से मुलाकात की। अस्थायी राहत शिविरों का दौरा किया। राज्य के अलग-अलग हिस्सों जैसे, इम्फाल, मोरेह, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और पीड़ितों से चर्चा की है। भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनकी हर चिंता को दूर करेगी। शांति के साथ विकास एक बार फिर मणिपुर की पहचान बनेगी।

» ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर के प्रति अनुराग से हर कोई परिचित है। हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। देश का हर व्यक्ति सुरक्षित रहे इसके लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्वयं मणिपुर का चार दिनों का दौरा किया। किसी एक राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री का लगातार चार दिनों तक प्रवास सरकार की मंशा को दर्शाता है कि उस क्षेत्र में सरकार शांति और विकास के लिए कितना सचेत है। राजधानी इंफाल सहित प्रभावित कई क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मिले। विद्रोही गुटों के लोगों से भी बात की। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

मणिपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हर पक्ष के लोगों से मुलाकात की। अस्थायी राहत शिविरों का दौरा किया। मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों जैसे, इम्फाल, मोरेह, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और पीड़ितों से चर्चा की है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और महिला संगठनों के साथ भी बैठक की। इसके अलावा मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के नागरिक समाज संगठनों के साथ बैठक की। राज्य के बुद्धिजीवी संगठनों, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसरों और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ शांति बहाल करने के उपायों पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने चर्चा की है। 11 राजनीतिक पार्टियों के साथ भी चर्चा की गई है, इसके अलावा खिलाड़ियों और सभी पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय व केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला भी उनके साथ रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राजभवन में महिला नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। मणिपुर के समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व को दोहराते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि हम सब मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। विभिन्न समूहों ने शांति के प्रति कटिबद्धता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सब साथ मिलकर मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करने में योगदान देंगे। विभिन्न समूहों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। श्री शाह ने कहा कि बीते छह वर्षों में मणिपुर में विकास के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे यहां केंद्रीय संस्थान खोलना हो, आधारभूत संरचना को मजबूत करना हो, औद्योगिक निवेश लाना हो, शैक्षणिक संस्थानों को सुचारू रूप से चलाकर मणिपुर को पूर्वोत्तर का शिक्षा और खेलकूद का हब बनाना हो, हर क्षेत्र में शांति के कारण मणिपुर विकास के

इंफाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की प्रेसवार्ता के मुख्य बिंदु

- भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
- मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार ने कोटे के अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है, गैस सिलिंडरों, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है।
- भारत सरकार द्वारा बनाई गई 8 मेडिकल टीमों में से 3 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और 5 टीमें जल्द पहुंचने वाली हैं, ये टीमें मोरेह, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।
- आवागमन में सुगमता के लिए चूड़ाचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी से अस्थायी हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जा रही है।
- जिनके पास भी हथियार हैं, वे हथियारों को पुलिस के सामने सरेंडर करें, पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- एक इंटर-एजेंसी यूनिफाइड कमांड की स्थापना होगी।
- खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाकर मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम

- शांति और सदभाव बनाए रखने के लिए कई कमेटियों का गठन
- हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन
- मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का होगा गठन, सभी वर्गों और पक्षों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
- समन्वय के लिए सुरक्षा सलाहकार, श्री कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर-एजेंसी यूनिफाइड कमांड की होगी स्थापना
- चिन्हित मामलों की सीबीआई के विशेष दल से कराई जाएगी जांच

रास्ते पर चल रहा था। इस स्थिति को दोबारा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास हो रहे हैं। श्री अमित शाह ने इंफाल में एक सर्वदलीय बैठक की। नेताओं से बात करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि मणिपुर की शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अशांति फैलाने वाली सभी गतिविधियों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। पुलिस, सेना और अद्धसैनिक बलों को भी साफ संदेश है कि अगर कोई हिंसा भड़काने या हिंसा करने की कोशिश करता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाए। म्यांमार बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

मणिपुर यात्रा के तीसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मोरेह और कांगपोकपी क्षेत्रों का दौरा किया और नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। मोरेह में पहाड़ी आदिवासी परिषद, कुकी छात्र संगठन, कुकी प्रमुख संघ, तमिल संगम, गोरखा समाज और मणिपुरी मुस्लिम परिषद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा स्थिति की जानकारी भी दी गई। गृह मंत्री ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का दौरा किया और कुकी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। कांगपोकपी में केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय एकता समिति, कुकी इंपी मणिपुर, कुकी छात्र संगठन, थादौइन्पी जैसे नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, प्रमुख हस्तियों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। आश्वासन दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चूड़ाचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी में आपातकालीन जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुनिश्चित की जाएगी।बाद में इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया जहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प मणिपुर को एक बार फिर से शांति और सद्भाव के रास्ते पर लाने और शिविरों में रह रहे लोगों के जल्द से जल्द अपने घरों में लौटने पर केंद्रित है। गृह मंत्री ने इंफाल में शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। श्री अमित शाह ने हिंसा रोकने, सशस्त्र असामाजिक तत्वों के खिलाफ और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति लाने के लिए लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।

चार दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही सभी एजेंसियों के बीच बेहतर और बिना किसी पक्षपात के समन्वय के लिए सुरक्षा सलाहकार, श्री कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर-एजेंसी यूनिफाइड कमांड की स्थापना होगी। हिंसा के बाबत दर्ज हुए सभी मामलों मे से चिन्हित किए गए 5 मामले और जनरल षड्यंत्र के एक मामले समेत 6 मामलों की सीबीआई के विशेष दल से जांच कराई जाएगी और किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बिना हिंसा के कारणों की जांच करके भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों को दंडित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मणिपुर हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किया जायेगा। हिंसा प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से सुरक्षा और सहायता के लिए कई प्रयास किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत 10 लाख रुपए की राशि हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दी जाएगी। 5 लाख रूपए भारत सरकार और 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार द्वारा दी जाने वाली ये राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसके अलावा गैस सिलिंडरों, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाकर मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। आवागमन मे सुगमता के लिए चूड़ाचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी से अस्थायी हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे सिर्फ 2000 रूपए प्रति व्यक्ति की दर से लोगों को एयरपोर्ट और सुदूर स्थानों तक यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। इस सेवा का बाकी खर्चा भारत सरकार और मणिपुर सरकार उठाएंगे। भारत सरकार द्वारा बनाई गई 8 मेडिकल टीमों में से 3 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और 5 टीमें जल्द पहुंचने वाली हैं। ये टीमें मोरेह, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।

मणिपुर के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मणिपुर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा और डिस्टेंस शिक्षा की व्यवस्था पर एक कंक्रीट प्लान तैयार करेंगे। मणिपुर हाई कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेशी के लिये चूड़ाचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी में जरुरी व्यवस्था की जा रही है। मणिपुर में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और अलग-अलग मंत्रालयों के 5 निदेशक स्तर के अधिकारी मणिपुर में उपस्थित रहेंगे। ■

तटीय सुरक्षा की मजबूती के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनएसीपी के स्थायी परिसर की रखी आधारशीला

20 मई, 2023 को गुजरात के द्वारका में 470 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि तटीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सीमा प्रहरियों के रहने और कार्यस्थलों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी, उनके परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता और देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक साधन मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

» ब्यूरो

काम अच्छा हो, तो सबको दिखता है। यह बात 20 मई, 2023 को गुजरात के द्वारका में सिद्ध हुई। यहां भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात वालों को ही नहीं, पूरे देश को सुरक्षा की सौगात दी। इसके अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी)के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। यह परिसर 470 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 450 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले इस परिसर को आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे सीमा प्रहरियों के रहने और काम करने की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हो, उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हों और सुरक्षा के लिए उन्हें अत्याधुनिक जरूरी साधन मुहैया कराए जाएं। इन तीनों क्षेत्रों में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और हमारे सुरक्षाबलों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है।

देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सभी सीमाएं चाक-चौबंद हों। भारत की सीमाओं की बात करें, तो देश में 15000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा में से 5422 किलोमीटर मेनलैंड की सीमा है और द्वीपों की 2000 किलोमीटर की सीमा है। इस 7516 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर कुल मिलाकर समुद्र किनारे 1382 द्वीप समूह, 3337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर-प्रमुख बंदरगाह, स्पेस, डिफेंस, अटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, शिपिंग आदि 135 एस्टेबलिशमेंट हैं। उपर्युक्त तथ्यों का जिक्र करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि इन सबकी सुरक्षा करने वालों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय सीमाओं की सुरक्षा की जरूरत महसूस की गई कि एक ही प्रकार का रिस्पांस हर तटीय पुलिस स्टेशन, समुद्री सीमा की सुरक्षा करने वाले और कोस्ट गार्ड के जवानों को होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब एक सुनियोजित तरीके से तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। 2018 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को मंजूरी दी और इसे श्री कृष्ण की नगरी में स्थापित करने का निर्णय किया गया।

> **केंद्र सरकार ने देश के सीमा प्रहरियों के रहने और कार्यस्थलों की सुविधा में बढ़ोत्तरी, उनके परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता और देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक साधन मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, कस्टम्स और मछुआरों के साथ मिलकर सुरक्षा का एक सुदर्शन चक्र बनाया है। इंटीग्रेटेड विचार के साथ बनाई गई इस रणनीति के माध्यम से देश के तटों को सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है।**
>
> -श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

इस समय पूरे देश में कुल तटीय पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 12 हजार हैं । इस अकादमी के पूरी तरह परिचालन में आने के बाद यहां एक साल में 3,000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार 4 साल में भारत की तटीय सुरक्षा करने वाले सभी कर्मियों की शत-प्रतिशत ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय के कारण हो रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने लगभग 56 करोड़ की लागत से आज यहां बीएसएफ की पांच अलग-अलग कंपनियों के आउटपोस्ट और 18वीं वाहिनी के एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट टॉवर का उद्घाटन किया है। इन पर तैनात हमारे सजग प्रहरी सुविधा के साथ यहां रह पाएंगे और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। कई स्तंभों पर इस तटीय सुरक्षा की नीति को तैयार किया गया है। इसमें तटीय सुरक्षा और इंटेलीजेंस के मामले में समन्वय और संवाद, संयुक्त तटीय गश्त द्वारा पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल तय करके निश्चित समय अंतराल पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, 10 लाख से ज्यादा क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड मछुआरों को देना, 1537 फिशलीडिंग पॉइंट्स पर सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना और ब्लू इकोनामी के लिए बनाए हुए सभी मत्स्य बंदरगाहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन सभी को जोड़कर तटीय सुरक्षा के लिए एक अभेद्य दुर्ग बनाने का काम सरकार ने किया है। ■

बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर श्री अमित शाह का जोर

एजेंसियों को वैज्ञानिक डेटा देने के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करने का गृह मंत्री ने दिया निर्देश

» ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आगामी मानसून के संदर्भ में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री ने देश की स्थानीय बाढ़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसका प्रचार–प्रसार हो ताकि समय पूर्व लोगों को चेतावनी मिल जाए इससे जान–माल का कम नुकसान होगा। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि आईएमडी द्वारा विकसित 'उमंग', 'रेन अलार्म' और 'दामिनी' जैसे मौसम पूवार्नुमान से संबंधित विभिन्न मोबाइल ऐप का लाभ लक्षित आबादी तक पहुंचाने के लिए इनका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाए।

समीक्षा बैठक के बाद गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रयास हो रहे हैं जिनसे आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम से कम करने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने मौसम संबंधी भविष्यवाणी अगले मॉनसून तक मौजूदा 5 से बढ़ाकर 7 दिन करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे बाढ़ प्रबंधन और बेहतर हो सके। श्री शाह ने बाढ़ और आपदा संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने के लिए गृह मंत्रालय और एनडीएमए द्वारा मार्च, 2024 तक एक कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश दिए जिससे भविष्यवाणी करने वाली एजेंसीज को तत्काल वैज्ञानिक डेटा मिलेगा जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन ऐजेंसियां कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रयास हो रहे हैं जिनसे आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम से कम करने में मदद मिल सकेगी
- गृह मंत्री ने देश की स्थानीय बाढ़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की
- सरकार की आपदा मित्र योजना में गांवों में उपलब्ध परंपरागत गोताखोरों को भी बचाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए

में विदेशों की विशेषज्ञ ऐजेंसियों की मदद भी ली जाए। श्री शाह ने कहा कि सरकार की आपदा मित्र योजना में गांवों में उपलब्ध परंपरागत गोताखोरों को भी बचाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को देश के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ और जलस्तर में वृद्धि की भविष्यवाणी के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान बाढ़ के मौसम के दौरान, वर्तमान और अनुमानित नदी के स्तर की प्रति घंटे निगरानी की जानी चाहिए और तटबंधों की निगरानी, बचाव, अस्थायी आश्रयों सहित उचित उपाय किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) जैसे विशिष्ट संस्थानों को मौसम और बाढ़ के अधिक सटीक पूवार्नुमान के लिए अपनी तकनीकों का उन्नयन जारी रखना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि एसएमएस, टीवी, एफएम रेडियो और अन्य माध्यमों से जनता तक बिजली गिरने के बारे में आईएमडी की चेतावनी समय पर पहुंचनी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि आईएमडी द्वारा विकसित 'उमंग', 'रेन अलार्म' और 'दामिनी' जैसे मौसम पूवार्नुमान से संबंधित विभिन्न मोबाइल ऐप का लाभ लक्षित आबादी तक पहुंचाने के लिए इनका अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। 'दामिनी' ऐप बिजली गिरने से तीन घंटे पहले इसकी चेतावनी देती है जिससे जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निदेर्शानुसार, सूचना के आसान प्रसार के लिए इस ऐप को अब 15 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रमों में एकरूपता होनी चाहिए और अधिकतम प्रभाव के लिए इसका एकीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि समुदाय से ही पहला रिस्पांस मिलता है। बैठक में, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी), एमओआरटीएच, डीओडब्लूआर और जीआर, रेलवे बोर्ड, डीजी, एनडीआरएफ और निदेशक, एनआरएससी (आईएसआरओ) ने प्रस्तुतियाँ दीं और पिछले वर्ष बाढ़ समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निदेर्शों और इस मानसून के मौसम के साथ-साथ उनकी भविष्य की कार्ययोजना के लिए लक्षित/किए जा रहे उपायों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बैठक में गृह मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और नदी कायाकल्प मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव; सदस्य और सचिव (स्वतंत्र प्रभार) एनडीएमए; एनडीआरएफ के महानिदेशक; अध्यक्ष, सीडब्लूसी और एनएचआई, तथा मौसम विभाग, रेलवे बोर्ड और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ■

एनएफएसयू : नई तकनीकी के जरिए दुनिया भर में बना सर्वश्रेष्ठ

स्थापना के बाद से ही नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का ध्यान स्पष्ट और दूरदर्शी रहा है, जो कौशल में सुधार और नई तकनीक के विकास में लगातार दिख रहा है।

डॉ. जे एम व्यास*

फॉरेंसिक विज्ञान एक सागर है, जिसमें कई नदी रूपी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और ज्ञान के हर संभव क्षेत्र को समाहित हैं। फॉरेंसिक विज्ञान के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना भी एक है। दुनिया के पहले फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को विकसित करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 2008 में उन्होंने इसे देश को समर्पित किया था, उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को गुजरात के अलवा आठ राज्यों में स्थापित किया गया है। इन शैक्षणिक संस्थानों में फॉरेंसिक साइंस को उच्चा शिक्षा का बेहतरीन संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इसके लिए केंद्रीय एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अथक प्रयास किए हैं।

प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, इसने फैकल्टी और छात्रों को 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मानिर्भर भारत' की दृष्टि के साथ प्रोत्साहित किया है। इस विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण सिर्फ फॉरेंसिक साइंस से जुड़े लोगों को दिया है, बल्कि भारत में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों और 70 से अधिक मित्र देशों से भी प्रोफेशनल्स को भी प्रशिक्षण दिया है। 11 साल में विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के रूप में अपग्रेड किया गया और 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में सम्मानित किया गया।

यह हर्ष की बात है सिर्फ 30 महीने में विश्वविद्यालय ने दस परिसरों की स्थापना की है, जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। युगांडा में जिन्जा में एक विदेशी परिसर की स्थापना है। इस प्रकार यह देश का पहला सार्वजनिक विश्वविद्यालय बन गया है, जिसने विदेश में एक परिसर स्थापित किया है। दंड प्रक्रिया संहिता – 1973 की धारा 293 के तहत इसे एक विशेष जनादेश दिया गया है, जिसमें एनएफएसयू के सभी संकाय सदस्यों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ घोषित किया गया है। ऐसा पहले कभी देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं किया गया है।

अब तक एनएफएसयू ने बेहतरी के कई प्रयास किए हैं। एनएफएसयू हाई-एंड टेकनोलॉजी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए एनएफएसयू ने विभिन्न डोमेन में उत्कृष्टता के केंद्रों की संख्या स्थापित की है। ऐसा ही एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) जिसका प्रमुख काम है अनुसंधान और विश्लेषण करना। यह वैज्ञानिक तरीकों का विकास कर रहा है, जो अफीम पोस्ता की भौगोलिक रूपरेखा और ड्रग्स के सैंपल को वास्तविक समय के डाटा पर काम कर रहा है। यह स्वदेशी जांच किट और पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने पर भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। उत्कृष्टता का एक अन्य केंद्र डीएनए फोरेंसिक के लिए है, जो डीएनए विश्लेषण के लिए उन्नत पद्धतियों, तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है।

केंद्र एनएफएसयू का अनूठा प्राक्षेपिकी अनुसंधान और परीक्षण केंद्र है, जो विभिन्न बैलिस्टिक प्रतिरोधी सामग्री और बख्तरबंद वाहनों का व्यापक प्रमाणित परीक्षण करता है। एनएफएसयू ने देश भर में फोरेंसिक सुविधा स्थापित करने के गृह मंत्री की दूरदर्शिता के अनुरूप मोबाइल फोरेंसिक वैन डिजाइन करने की पहल भी की है। वैन हर तरह के सैंपल कलेक्शन की सुविधा और जांच किट से लैस हैं।

एनएफएसयू में फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच आधारित प्रौद्योगिकियां भी सबसे आगे हैं। संदिग्धों की जांच करने की अपनी प्रमुख भूमिका में, सस्पेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, आई-डिटेक्ट सिस्टम और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस जैसी तकनीकों का अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा है। उनके अलावा, कुछ उन्नत तकनीकों जैसे ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर (बीईओएस) प्रोफाइलिंग का विकास जारी है। लिखावट विश्लेषण उपकरण, मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी के लिए व्यक्तित्व और सुसाइड नोट का अध्ययन करने में मदद करती है। माइक्रो-एक्सप्रेशन विश्लेषण प्रणाली छिपी हुई भावनाओं या धोखे को पढ़ने के लिए अनैच्छिक मांसपेशियों के चेहरे की गतिविधियों को मापती है।

जब पूरी दूनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही है, ऐसे में साइबर सुरक्षा के साथ डिजिटल फॉरेंसिक पर विशेष जोर देना अनिवार्य है। वास्तव में साइबर सुरक्षा से संबंधित एक केंद्र इस विश्वविद्यालय में स्थापित सबसे शुरूआती केंद्रों में से एक था, जो अब साइबर सुरक्षा के लिए एक अत्यधिक परिष्कृत उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत में पहली आईएसओ/आईईसी 27001 प्रमाणित प्रयोगशाला है।

21वीं सदी दुनिया के लिए विविध, जटिल और नए खतरों को लेकर आई है। भारत की इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एनएफएसयू ने भी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्रदान करने, उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान करने और अत्यधिक उन्नत तकनीकों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। आपराधिक जांच में फोरेंसिक की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उच्च-अंत प्रौद्योगिकियों की विशाल क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' का योगदान है। ■

***कुलपति, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधी नगर**

31 मई को मणिपुर के मोरेह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला भी उपस्थित रहे।

23 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर दो दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री निशीथ प्रमाणिक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया।

असम राइफल्स की राधानगर बटालियन ने 22 मई, 2023 को मणिपुर में अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यूनिट वॉर मेमोरियल में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। इन जवानों ने 22 मई 2016 को जौपी, मणिपुर में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।

17 मई को असम राइफल्स के अगरतला सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मणिपुर में सुरक्षा बैठक आयोजित की। बोरोबेक्रा में हुई इस सुरक्षा बैठक में स्थानीय सभी जनजातियों के 30 समुदाय प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत की गई और जिरिबाम जिले, मणिपुर में क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व ड्रक मीडिया प्रा. लि. ग्रेटर नोएडा द्वारा मुद्रित

"श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2009 में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो बीज बोया था, वो आज राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में एक विशाल वटवृक्ष बनकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सशक्त करने के लिए देश की मदद कर रहा है।"

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48
महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Burearu of Police Research & Development India https://bprd.nic.in